



भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय  
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

Website: [www.bsgmp.net](http://www.bsgmp.net), E [bsgmadyapradesh@gmail.com](mailto:bsgmadyapradesh@gmail.com), Phone ☎: 2661263, Fax: 2737446

पत्र क्र०/1573/रामु/गतिविधि/2013  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 07/06/2013

जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास  
पदेन जिला कमिश्नर (स्काउट/गाइड)  
जिला .....

विषय :- स्काउट-गाइड दल गठन अभियान विषयक ।

-0-

जैसा की आपको विदित है कि मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने स्काउट-गाइड क्रियाकलापों को शिक्षा का अभिन्न अंग मानते हुये प्रत्येक विद्यालयों में स्काउट-गाइड दलों का गठन एवं संचालन अनिवार्य किया है ।

चूंकि आप जिला संघ के पदेन जिला कमिश्नर (स्काउट/गाइड) है इसलिये शालाओं में दल के गठन में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होना चाहिये, इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वर्ष 2012-2013 में आपके जिले में दल गठन एवं पंजीयन की स्थिति क्या है, की समीक्षा निम्न प्रपत्र में स्वयं करे ।

क्रम	विद्यालय		शासकीय विद्यालयों की संख्या	अशासकीय विद्यालयों की संख्या	पंजीकृत दलों की संख्या	अपंजीकृत दलों की संख्या
1	उ०मा०विद्यालय	बालक				
2	उ०मा०विद्यालय	बालिका				
3	हाईस्कूल	बालक				
4	हाईस्कूल	बालिका				
5	माध्यमिक विद्यालय	बालक				
6	माध्यमिक विद्यालय	बालिका				
7	प्राथमिक विद्यालय	बालक				
8	प्राथमिक विद्यालय	बालिका				


उपरोक्त समीक्षा से आपको स्वतः स्पष्ट हो जायेगा कि अभी आपके जिले के अनेक शास०/अशास० विद्यालयों में स्काउट-गाइड दलों का गठन, पंजीकरण होना शेष है । अतः आप अपने स्तर से निम्नानुसार कार्यवाही करे ।

- 1 जिले की समस्त अपंजीकृत शास०/अशास० विद्यालयों के संस्था प्रमुखों के साथ बैठक का आयोजन माह जुलाई के प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह में करके सभी विद्यालयों के संस्था प्रमुखों को दल गठन पंजीयन, नवीनीकरण हेतु पुनः समक्ष में एवं लिखित में निर्देश देवें ।

- 2 अपंजीकृत शास0/अशास0 विद्यालयों में दलों के पंजीकृत कराये जाने हेतु शालाओं में दलों का गठन अभियान संचालित कर करावें इस हेतु जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर स्काउट से जुड़े शिक्षकों की लिखित में ड्यूटी लगावे ।

इस संबंध में जिले में पदस्थ डी0ओ0सी0 (स्काउट/गाइड) एवं संभाग के सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) को भी इस कार्यालय द्वारा निर्देशित किया है कि वह आपसे व्यक्तिगत भेंट कर उक्त बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने में आपको सहयोग प्रदान करेंगे । इस दल गठन अभियान हेतु आप अपने जिला संघ के पदाधिकारियों की बैठक कर जिलेमें ऑनरेरी रूप से कार्यरत् डी0ओ0सी0 / डी0टी0सी0 / सचिव/कोषाध्यक्ष को भी उत्तरदायित्व सौंपे ।

अतः आप उक्त कार्यवाही को प्राथमिकता प्रदान कर कृत कार्यवाही से मुझे भी अवगत करावे एवं उक्त प्रपत्र की पूर्तिकर इस कार्यालय को दिनांक 30 जून 2013 के पूर्व अनिवार्य रूप से प्रेषित करने का कष्ट करे । दल गठन अभियान हेतु विस्तृत कार्ययोजना शीघ्र भेजी जा रही है ।




राज्य सचिव  
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 07/06 /2013

पत्र क्र0/1574/रामु/गतिविधि/2013

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश गौतम नगर भोपाल ।
- 2 आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश सतपुडा भवन भोपाल ।
- 3 संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग .....
- 4 संभागीय उपायुक्त, अनुसूचित जाति एवं आदिवासी विकास संभाग.....
- 5 सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) संभागीय कार्यालय .....



राज्य सचिव  
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

